

भारतीय सर्वोच्च न्यायलय

दीवानी अपीलीय अधिकारिता

दीवानी अपील संख्या 12040 / 2018

विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 24745/2015 से उत्पन्न

यूनियन ऑफ़ इंडिया एवं अन्य .....अपीलार्थी(गण)

बनाम

डॉ. ओ. पी. निझावन एवं अन्य .....प्रत्यर्थी(गण)

संग

दीवानी अपील संख्या 12112 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 15594/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12125-12127 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 7853-7855/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12143-12144 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 4271-4272/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12113 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 27273/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12139/ 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 35861/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12114 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 15416/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12115 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 26723/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12116 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 16725/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12117 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13531/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12142 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 38068/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12042 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 16856/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12099 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 15927/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12137-12138 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 22848-22849/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12109 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 308/2017 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12101 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 301/2017 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12140-12141 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 38066-38067/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12128 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 17000/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12098 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 23922/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12135-12136 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 23104-23105/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12043 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 27438/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12104 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 302/2017 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12133-12134 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 23110-23111/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12106 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 305/2017 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12130-12132 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 11456-11457/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12111 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 309/2017 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12044 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 13640/2017 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12129 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 23326/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12145 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 34736/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12146 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 28273/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12147-12149 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 32096-32098/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12100 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 30128/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12045 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 36373/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12150 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 34724/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12102 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 32349/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12103 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 32357/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12105 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 32350/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12107 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 35332/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12108 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 32340/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12110 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 32347/2016 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12229 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 14514/2017 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12153 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 9464/2017 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12095-12096 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 31554-31555/2018 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12047 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 33019 (डायरी सं.14576)/2018  
से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12154-12157 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 33134-33137 (डायरी सं.  
14578)/2018 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12151-12152 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 30035-30036/2017 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12046 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 25929/2017 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12041 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 10820/2018 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12120 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 10825/2018 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12068 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 16578/2018 से उत्पन्न)

दीवानी अपील संख्या 12119 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 24792/2018 से उत्पन्न)

एवं

दीवानी अपील संख्या 12118 / 2018

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 6045/2017 से उत्पन्न)

निर्णय

न्यायमूर्ति अशोक भूषण

विधि एवं तथ्यों के समान प्रश्नों को उठा रहे अपीलों का यह समूह एक साथ सुना गया एवं एक समान निर्णय द्वारा निर्णित किया जाता है । समस्त अपीलें भारत संघ निमित्त रक्षा मंत्रालय एवं अन्य द्वारा दायर की गई हैं जो उच्च न्यायलय के निर्णय एवं केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ दिल्ली एवं केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के भिन्न अन्य पीठों के निर्णयों पर प्रश्न उठाती हैं । केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ एवं केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के भिन्न अन्य पीठों ने यहाँ उन प्रत्यर्थागण द्वारा दायर किये गये मूल आवेदन पत्रों को स्वीकार किया है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी रक्षा अनुसन्धान एवं विकास

संगठन, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग में वैज्ञानिकगण के रूप में कार्यरत हैं | भारत संघ ने उक्त उल्लिखित तीनों विभागों में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों को दिनांक 01.01.1996 से रु. 2,000/- एवं 01.01.2006 से रु. 4,000/- के विशेष वेतन को संस्वीकृति दी है |

2. प्रत्यर्थीगण द्वारा मूल आवेदन पत्र इस निर्देश हेतु दायर किये गए थे कि भारत संघ एवं अन्य को निदेशित किया जाए कि वह पेंशन एवं पेंशन संबंधी प्रयोजना हेतु विशेष वेतन को गिने | अपीलों के इस समूह के प्रत्यर्थीगण रक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग में कार्य कर रहे थे, उपरोक्त तीनों विभागों में कार्य कर रहे प्रत्यर्थीगण/ वैज्ञानिकों द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के समक्ष उठाये गये मुद्दे एवं माँगे गये अनुतोष प्रवृत्ति अनुसार समान थे एवं केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के प्रधान पीठ एवं अन्य पीठों ने पेंशन संबंधी लाभों के लिये उपरोक्त विशेष वेतन को माने जाने की मांग को स्वीकार किया था | उच्च न्यायलय ने भी उन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के आदेशों को चुनौती दी गई थी | उक्त निर्णयों से व्यथित होकर भारत संघ इन अपीलों में आया है |

3. उपरोक्त लिखित तीनों विभागों के वैज्ञानिक द्वारा उठाये गए मुद्दे एक समान होने के कारण इन अपीलों के इस समूह के फैसले के लिये



केवल दीवानी अपील संख्या 12040/2018 - भारत संघ एवं अन्य बनाम डॉ. ओ. पी. निझावन एवं अन्य के अभिवाको में नोटिस देना पर्याप्त होगा जिसे मुख्य अपील के रूप में माना जा रहा है ।

4. अब हम आगे बढ़ते हैं और दीवानी अपील संख्या 12040/2018-भारत संघ एवं अन्य बनाम डॉक्टर ओ. पी. निझावन एवं अन्य के तथ्यों को देखते हैं ।

5. प्रत्यर्थीगण डॉक्टर ओ. पी. निझावन एवं अन्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (एतदपश्चात “DRDO” से निर्देशित), रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक ‘जी’ में कार्यरत थे जहाँ से वह सेवानिवृत्त हुए । रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिक ‘जी’ रु. 5900-7300/- के वेतनमान में परमाणु ऊर्जा विभाग (एतदपश्चात ‘डी.ए.ई.’ से निर्देशित) एवं अंतरिक्ष विभाग (एतदपश्चात ‘डी.ओ.एस.’ से निर्देशित) में कार्य कर रहे वैज्ञानिक / अभियंता - H के साथ कार्य कर रहे थे । पाँचवे केन्द्रीय वेतन आयोग ने रु. 5900-7300 एवं रु. 5900-6700 के वेतनमान हेतु एक समान अनुसंशोधित वेतनमान रु. 18400-22400 की सिफारिश की । पाँचवे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी H एवं वैज्ञानिकगण ‘जी’ को दिया जाने वाला वेतन एक समान वेतन में मिला दिया गया एवं छठे वेतन आयोग के अंतर्गत रु. 18400-22400 के वेतन को रु. 37400-

67000 में परिशोधित कर दिया गया। उपरोक्त तीनो वैज्ञानिक विभागों अर्थात् DRDO, DOS, एवं DAE के वैज्ञानिको ने रु. 5900-7300 के वेतनमान (पूर्व परिशोधित) में रहने वाले वैज्ञानिको / अभियंताओं को उचित मुआवज़ा देने के लिए मुकद्दमा लगाया । समकक्ष समीक्षा की अनुवर्ता में भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने रु. 18400-22400 के वेतनमान वाले वैज्ञानिको को पृथक उच्च वेतनमान के बदले प्रतिमास रु. 2000/- के विशेष वेतन की संस्वीकृति देने का फैसला किया । उपरोक्त तीनो विभागों द्वारा एक आदेश दिनांक 03.02.1999 को जारी किया गया । आदेश 03.02.1999 में उपरोक्त वेतनमान को दिनांक 01.01.1996 से संस्वीकृति प्रदान किया गया।

6. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा एक आदेश, 14.05.1999 को जारी किया गया जिसमे प्रस्ताव था कि रक्षा मंत्रालय द्वारा पृथक रूप से समस्त प्रयोजनों हेतु जैसा मूल नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन के रूप में परिभाषित है वैसे विशेष वेतन को देने का प्रस्ताव दिया जा रहा है । जिस संबंध में रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आगे के निर्देश जारी किये जायेंगे । भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग ने 12.08.1999 को एक आदेश पारित किया जिसमे यह उल्लिखित था कि, विशेष वेतन को DA, HRA, Pension, etc. जैसे प्रयोजनों हेतु वेतन के

भाग के रूप में नहीं माना जायगा | अंतरिक्ष विभाग में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों द्वारा मूल आवेदन पत्र संख्या 1135/2002 दायर किया गया जिसमें O.M. 12.08.1999 द्वारा जारी स्पष्टीकरण आदेश पर प्रश्न उठाया गया जो विशेष वेतन को पेंशन के भाग के रूप में नहीं मानने से संबंधित था | केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली के प्रधान पीठ ने O.A. को दिनांक 14.05.2003 के आदेश द्वारा स्वीकार किया जिसमें यह माना गया कि, प्रति मास रू. 2000/- के विशेष वेतन को दिनांक 01.01.1996 से पेंशन सम्बन्धी लाभों के प्रयोजनों हेतु वेतन के भाग के रूप में माना जाएगा | अंतरिक्ष विभाग ने भी अपने पूर्व आदेश, दिनांक 12.08.1999 को आशोधित करते हुए एक अनुवर्ती आदेश, दिनांक 11.07.2003 जारी किया है जो इस प्रभाव का है कि, महंगाई भत्ता के प्रयोजनों हेतु विशेष वेतन को वेतन का भाग नहीं माना जाएगा परन्तु उसको पेंशन-सम्बन्धी लाभों के लिए दिनांक 01.01.1996 से वेतन का भाग माना जाएगा | दिनांक 13.07.2004 को अंतरिक्ष विभाग ने ओ.ए. सं 1153/2002 के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश पर भरोसा करते हुए पेंशन सम्बन्धी लाभ हेतु रू. 2000/- के विशेष वेतन के लाभ को बढ़ा दिया | रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों ने भी इस प्रार्थना के साथ कि, पेंशन के प्रयोजनों हेतु रू. 2000/- के विशेष वेतन को

माना जाए ओ.ए. सं 184/2006 दायर किया था जो ओ. ए. आदेश दिनांक 29.03.2007 द्वारा स्वीकार किया गया जिसमें यह माना गया कि विशेष वेतन को भी पेंशन-सम्बन्धी लाभ के लिए माना जाएगा | केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, हैदराबाद के निर्णय, दिनांक 29.03.2007 के विरुद्ध भारत संघ ने रिट याचिका सं. 267/2008 दायर की जो रिट याचिका उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश के निर्णय, दिनांक 25.09.2009 द्वारा खारिज कर दी गई | आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. 4842/2009 दायर की गई जो निम्न आदेश द्वारा दिनांक 29.04.2009 को खारिज कर दी गई : -

“सुना गया |

विलंब माफ़ किया गया |

प्रस्तुत मुकद्दमे के तथ्यों को देखते हुए हमें आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का मन नहीं | विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है | तथापि विधि का प्रश्न खुला छोड़ा गया है |”

7. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने दिनांक 13.05.2009 को एक आदेश जारी किया जिसमें यह प्रावधान था कि, वेतनमान रु. 18400-22400/- वाले वैज्ञानिकों को दिनांक 01.01.1996 से प्रति मास दिया जाने वाला रु. 2000/- का विशेष वेतन एवं प्रति मास रु. 10,000/- के पदक्रम वेतन सहित वेतन बैंड-4 (रु. 37400-67000) वाले

वैज्ञानिकों को दिनांक 01.01.2006 से प्रति मास दिया जाने वाला रु. 4000/- का विशेष वेतन पेंशन और पेंशन सम्बन्धी लाभों हेतु गिना जाएगा | यह उल्लेखनीय है कि रु. 2000/- का विशेष वेतन दिनांक 01.01.2006 से बढ़ाकर रु. 4000/- कर दिया गया था | प्रत्यर्थी डॉ. ओ. पी. निझावन एवं अन्य ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष ओ. ए. सं. 1750/2012 दायर किया जिसमें यह शिकायत की गई थी कि, यद्यपि आदेश, दिनांक 13.05.2009 द्वारा रु. 18400-22400/- के वेतनमान वाले वैज्ञानिकों को दिनांक 01.01.1996 से प्रति मास दिया जाने वाला रु. 2000/- के विशेष वेतन को और रु. 10,000/- पदक्रम वेतन सहित वेतन बैंड-4 (रु. 37400-67000) वाले वैज्ञानिकों को दिनांक 01.01.2006 से प्रति मास दिया जाने वाला रु. 4000/- के विशेष वेतन को पेंशन और पेंशन सम्बन्धी लाभों हेतु गिने जाने के लिए राष्ट्रपति की संस्वीकृति मिल गई थी, उक्त आदेश लागू नहीं किया गया है | आगे यह अभिवचन किया गया कि कई वैज्ञानिकों ने जिन्होंने हैदराबाद पीठ, बेंगलोर पीठ और प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष मुकद्दमे दायर किए हैं, जहाँ आदेश जारी किए गए थे, उस पदक्रम वाले अमुक वैज्ञानिकों के संबंध में आदेश लागू किया गया परन्तु आवेदनकर्ताओं को लाभ अभी तक नहीं मिला | यह अभिवचन किया गया कि

आवेदनकर्ताओं के कुछ सहकर्मियों को समान लाभ प्रदान करना और उन्हें उक्त लाभ नहीं देना मनमानी और भेदभावपूर्ण है। प्रत्यर्थीगण ने ओ. ए. में प्रार्थना की कि, प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाए कि, अपने ही आदेश दिनांक 13.05.2009 कि शर्तों के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला पेंशन एवं पेंशन सम्बन्धी लाभ परिशोधित किया जाए। यह भी प्रार्थना की गयी कि, प्रत्यर्थीगण को इसका भी निर्देश दिया जाए कि, पेंशन एवं पेंशन संबंधित लाभों के पुनरीक्षण परिशोधन में अनावश्यक रूप से लम्बा समय लगता है, तो रु. 2000/- अथवा रु. 4000/- को ध्यान में रखते हुए विशेष वेतन एवं उसके ब्याज को गिनते हुए आवेदनकर्ताओं को पेंशन एवं पेंशन संबंधी लाभों के बकाया के भुगतान करने का निर्देश दिया जाए। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने ओ. ए. सं. 1750/2012 के अपने निर्णय, दिनांक 22.01.2013 द्वारा स्वीकार किया, एवं निम्न निर्देश जारी किये ,

“(1) पेंशन एवं पेंशन सम्बन्धी प्रयोजनों हेतु दिनांक 01.01.1996 से अनुज्ञेय रु. 2000/- के विशेष वेतन एवं दिनांक 01.01.2006 से अनुज्ञेय रु. 4000/- के विशेष वेतन को उनके क्रमशः पदक्रम वेतन में गिने जाने के लिये आवेदनकर्ताओं के दावों को स्वीकार किया जाता है जैसा कि, ओ. एम. दिनांक 13.05.2009 में बताया गया है।

(2) आगे यह निर्देश दिया जाता है कि जो उपरोक्त में दिये गये पात्र श्रेणीयों में आते हों, उन्हें इस अधिकरण में आने के अपेक्षित हुए बिना इस लाभ को उन्हें दिया जाता है ।

(3) निस्संदेह यह एक अपवाद का मामला है एवं विधि के प्रश्न को अविनिश्चित छोड़ा जाता है ।

8. अधिकरण के निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.01.2013 के विरुद्ध भारत संघ ने दिल्ली उच्च न्यायलय में रिट याचिका सं. 3095/2014 दायर किया जो रिट याचिका खण्डपीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.07.2014 द्वारा खारिज कर दी गई । दीवानी अपील सं. 12040/2018-भारत संघ एवं अन्य बनाम डॉक्टर ओ. पी. निझावन एवं अन्य दिल्ली उच्च न्यायलय के निर्णय दिनांक 18.07.2014 के विरुद्ध दायर की गई है ।

9. जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, इस समूह में अन्य मुख्यतर अपीलें केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली एवं अन्य पीठों के निर्णयों के विरुद्ध दायर की गई है, जिनमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग के विभागों में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने कुछ अनुतोष प्रदान किया है ।

10. हमने श्रीमती पिंगी आनंद भारत की फ़ाज़िल अतिरिक्त महा सोलिसिटर एवं कर्नल श्री बाला सुब्रह्मण्यम को अपीलार्थीगण निमित्त सुना

है । श्री निधेश गुप्ता फ़ाज़िल वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भिन्न अपीलों में प्रत्यर्थीगण हेतु कई अन्य फ़ाज़िल अधिवक्तागण को भी सुना है ।

11. अपीलार्थीगण के फ़ाज़िल अधिवक्ता का निवेदन है कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश मूल नियमों के नियम 9 (21) (a) (i) एवं केन्द्रीय शहरी सेवा पेंशन नियम, (एतदपश्चात् 1972 के नियम के रूप में निर्देशित) के नियम 33 का खुला उल्लंघन करते हैं । वेतन की परिभाषा जो कि मूल नियम 9(21)(a)(i) में अन्तर्निहित है “विशेष वेतन” को वेतन की परिभाषा से बाहर निकालता है अतः दिनांक 01.01.1996 से रु. 2000/- के एवं दिनांक 01.01.2006 से रु. 4000/- के “विशेष वेतन” को वेतन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता एवं इसलिए इसे 1972 नियम के नियम 33 में परिभाषित परिलब्धियों की परिभाषा से बाहर किया जाएगा । केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा उच्च न्यायालय का निर्णय जिसमें यह माना गया है कि पेंशन को जोड़ने हेतु विशेष वेतन को गिना जाए विधिक अवस्था अधिनियम की भाषा अर्थात् नियम 9(21)(a)(i) को परिवर्तित नहीं कर सकता जो स्पष्ट एवं असंदिग्ध है । यह तथ्य कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश के विरुद्ध भारत संघ द्वारा दायर की गई रिट याचिकाएं एवं विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं विधिक



अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं पैदा करतीं | विशेष अनुमति याचिकाएं प्रारम्भ में ही खारिज कर दी गईं एवं इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिकाओं में से एक में विधि के प्रश्न को खुला छोड़ा है | आगे यह तथ्य कि अन्य सामान्य रूप से एक ही अवस्था में रहने वाले वैज्ञानिकों के विषय में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण / उच्च न्यायालय द्वारा पारित वाले आदेश अंतिम हो चुके हैं एवं भारत संघ द्वारा लागू भी कर दिए गए हैं, वह भी इस न्यायालय को विधि के खुले प्रश्न का फैसला करने से नहीं रोक सकते | इस न्यायालय के **कर्नल बी.जे. अक्कारा (सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार एवं अन्य, (2006) 11 SCC 709** में पारित निर्णय पर भरोसा किया गया | यह निवेदन किया गया है कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेशों के चलते भारत संघ पर वित्तीय रूप से बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है | अंत में यह निवेदन किया गया कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने वैज्ञानिकों को विशेष वेतन देने की मनाही कर दी है जो संकल्प अधिसूचना दिनांक 01.07.2017 द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है |

12. प्रत्यर्थीगण के फ़ाज़िल अधिवक्ता अपीलार्थीगण के निवेदन को गलत सिद्ध करते हुए प्रतिरोध करते हैं कि दिनांक 01.01.1996 से लागू रुपये 2000/- का विशेष वेतन पृथक उच्च वेतनमान के बदले में दिया गया था

जो दिनांक 03.02.1999 के आदेश जिसके द्वारा विशेष वेतन की संस्वीकृति दी गई थी से स्पष्ट है अतः यह मूल नियम 9(25) में परिभाषित विशेष वेतन की प्रवृत्ति में नहीं है एवं इस प्रकार नियम 9(21)(a)(i) में अन्तर्निहित वेतन की परिभाषा से खारिज किये जाने का पात्र नहीं है। केवल विशेष वेतन, जो मूल नियम 9(25) की परिभाषा में आता है, वेतन की परिभाषा से अलग होने लायक है। इस प्रकार अलग से उच्च वेतनमान के स्थान पर प्रत्यर्थियों को दिया गया 2000/- रुपये का विशेष वेतन पेंशन सम्बन्धी लाभों में गणना किये जाने योग्य है तथा केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण व उच्च न्यायालयों ने प्रत्यर्थियों के इस दावे को स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थियों को राहत इसलिए दी गई है क्योंकि इसी प्रकार के प्रत्यर्थियों को स्वयं भारत संघ द्वारा पहले से ही यह लाभ दिया जा चुका है। पेंशन की गणना में रु. 2000/- या रु. 4000/- के विशेष वेतन का समावेश न किया जाना प्रत्यर्थियों को उनके पेंशन के अधिकार से वंचित करना होगा जो उन्होंने संघ को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने पर प्राप्त किया है।

13. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

14. अभिलेख पर अभिवचन और पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों से, अपील के इस बैच में निम्नलिखित मुद्दे विचार हेतु उठते हैं :-

(i) क्या अपीलार्थियों को पेंशन की गणना हेतु

2000 या 4000 रुपये के विशेष वेतन को समावेशित

करने का निदेश देने वाले केंद्रीय प्रशासनिक

अधिकरण/ उच्च न्यायालयों के आक्षेपित निर्णय पर

प्रश्न करने से रोका गया है क्योंकि पिछले चरणों में

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण / उच्च न्यायालयों द्वारा

पारित इसी प्रकार के आदेश भारत संघ द्वारा दाखिल

विशेष अनुमति याचिकाओं के खारिज होने के कारण

पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं?

(ii) क्या पेंशन की गणना हेतु 2000/- या

4000/- रुपये के विशेष वेतन को समावेशित करने

का निदेश देने वाले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एवं

उच्च न्यायालयों के निर्णयों को लागू करने के आदेशों

को क्रियान्वित करने वाले भारत संघ द्वारा जारी

आदेश से भारत संघ पूर्व निर्णयों पर प्रश्न उठाने से  
बाधित /विबंधित है?

(iii) क्या डीआरडीओ, डीएई तथा डीओएस के  
वैज्ञानिकों को दिनांक 01.01.1996/01.01.2006 से  
क्रमशः अनुमत 2000 या 4000 रुपये का विशेष  
वेतन को 1972 नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लाभ  
की गणना हेतु नियम 9 (21)(क)(i) में दी गई वेतन  
की परिभाषा में शामिल करना होगा?

15. इससे पहले कि हम उपरोक्त मुद्दों पर पक्षकारों की ओर से विद्वान  
अधिवक्ताओं के द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करें, यह आवश्यक है कि  
पेंशन की गणना और भारत संघ द्वारा जारी किए गए कुछ आदेशों से  
संबंधित वैधानिक प्रावधानों को देखा जाए ।

16. मूल नियमों का नियम 9 (21) (क) (i) "वेतन" को परिभाषित करता  
है, जो इस प्रकार है:-

(21)(क) "वेतन" से अभिप्राय है सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित  
मासिक राशि जैसे-

(i) विशेष वेतन अथवा उसकी वैयक्तिक योग्यताओं के  
कारण प्रदान किए वेतन के अतिरिक्त वेतन जो  
उसके द्वारा धारित किसी स्थाई या स्थानापन्न पद

या ऐसे पद जिस पर वह काडर में अपनी स्थिति की वजह से हकदार है के लिए मंजूर किया गया है, एवं

- (ii) विदेश वेतन, विशेष वेतन तथा वैयक्तिक वेतन, एवं
- (iii) कोई अन्य परिलब्धियां जो कि राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में श्रेणीबद्ध हैं ।

17. मूल नियम 9(25) में विशेष वेतन को परिभाषित किया गया है जो

इस प्रकार है:-

**(25) “विशेष वेतन”** से अभिप्राय है किसी सरकारी कर्मचारी अथवा पद की परिलब्धियों में वेतन के रूप में वृद्धि जो कि निम्न को ध्यान में रखते हुए प्रदान की गई है-

(क) विशेष रूप से कठिन प्रकृति के कार्य;

अथवा

(ख) कार्य अथवा जिम्मेदारी में कोई विशेष वृद्धि

पदोन्नति पर वेतन के निर्धारण के लिए विभिन्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को विशेष वेतन प्रदान करने तथा इसके प्रतिपादन के सम्बन्ध में आदेशों हेतु, देखें इस संग्रह का परिशिष्ट-8 ।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के अन्य सरकारी विभागों, कंपनियों, निगमों आदि में स्थानांतरण पर प्रतिनियुक्ति (कार्य) भत्ते के नाम से दिए जाने वाले विशेष वेतन के सम्बन्ध में आदेशों हेतु, देखें इस संग्रह का परिशिष्ट-5 ।

18. केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 द्वारा नियंत्रित होता है | 1972 नियमों का नियम

33 परिलब्धियों को इस प्रकार परिभाषित करता है:

### 33. परिलब्धियां

[शब्द 'परिलब्धियां' से अभिप्राय है मूल नियमों के नियम 9 (21)(क)(i) में परिभाषित मूल वेतन जो एक सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु की तिथि से तुरंत पहले प्राप्त कर रहा था; तथा इसमें चिकित्सा अधिकारी को निजी प्रैक्टिस के बदले में दिया जाने वाला प्रैक्टिसबंदी भत्ता भी शामिल होगा ]]

[स्पष्टीकरण- सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु स्थिरता वेतन वृद्धि परिलब्धियों के रूप में मानी जाएगी ]]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

19. जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, चौथे केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वैज्ञानिक 'छ' रु. 5900-6700 का वेतनमान तथा वैज्ञानिक 'ज' रु. 5900-7300 का वेतनमान प्राप्त कर रहे थे | पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के क्रियान्वयन पर उपरोक्त दोनों वेतनमान रु. 18400-22400 के एक ही वेतनमान में मिला दिए गए और वैज्ञानिक अधिकारी 'ज' के रूप में पदनामित किये गए | समकक्ष समीक्षा पर दिनांक 01.01.1996 से रु. 2000/- के विशेष वेतन की मंजूरी की सिफारिश की गई | इस सम्बन्ध में

एक आदेश दिनांक 03.02.1999 जारी किया गया जिसका सम्बंधित भाग

इस प्रकार है:-

“सं. डीआरडीओ/यूएस101-ए/वी सीपीसी/एमपीडी/डी(आर एंड डी)

भारत सरकार

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, नई दिल्ली

03 फरवरी 1999

सेवा में,

महानिदेशक, अनुसन्धान एवं विकास,

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय,

नई दिल्ली

**विषय: वैज्ञानिकों के लिए प्रोत्साहन**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश किया गया है कि विभाग में वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के मामले की जांच रणनीति अनुप्रयोग हेतु उच्च तकनीक एवं तंत्र के विकास में उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा की गई है। सभी सुसंगत तत्वों को ध्यान में रखते हुए तथा वैज्ञानिकों को सर्वोत्तम योगदान देने हेतु आकर्षित करने, रोकने, प्रेरित तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति निम्न मंजूरी सहर्ष देते हैं:

**2. दिनांक 01 जनवरी, 1996 से**

- (1) समकक्ष समीक्षा के पश्चात  
रु. 18400-22400 के वेतनमान के वैज्ञानिकों  
को अलग से उच्च वेतनमान के स्थान पर  
रु. 2000/- प्रति माह का विशेष वेतन।

XXXXXXXXXXXXXXXXXX”

20. जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, विभिन्न कार्यालयी ज्ञापन-पत्रों द्वारा कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए थे जैसे अन्तरिक्ष विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयी ज्ञापन-पत्र दिनांक 12.08.1999 कि विशेष वेतन को डीए, एचआरए आदि के प्रयोजनों हेतु वेतन का भाग नहीं समझा जायेगा जिसकी वजह से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में भारत सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण आदेश पर प्रश्न करने वाले मूल आवेदन दाखिल किए गए हैं तथा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने पेंशन के प्रयोजनों हेतु विशेष वेतन की संगणना में वैज्ञानिकों के दावे को स्वीकार किया | डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष रूप से एक आदेश दिनांक 13.05.2009 जारी किया है जिसमें सरकार ने उपरोक्त विशेष वेतन को पेंशन एवं पेंशन सम्बन्धी लाभों में गणना करने का निर्णय लिया | कार्यालयी ज्ञापन पत्र दिनांक 13.05.1999 इस प्रकार है:

“टेली: 23007252 सं. सीएचआरडी 83101/प्रोत्साहन-  
6 सीपीसी/सी/पी/01

रक्षा मंत्रालय,  
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  
मानव संसाधन विकास निदेशालय  
‘बी’ ब्लॉक, डीआरडीओ भवन  
नई दिल्ली- 110105

13 मई, 2019

निदेशक  
(सभी प्रयोगशाला/संस्थान)



विषय: वैज्ञानिकों हेतु प्रोत्साहन- पेंशन सम्बंधित  
प्रयोजनों हेतु विशेष वेतन की गणना

उपरोक्त विषय पर रक्षा मंत्रालय के पत्र  
डीएचआरडी/85101/प्रोत्साहन/VI-सीपीसी/सी/पी/01/  
1376/2009/डी(आर एंड डी) दिनांक 13 मई, 2009  
इसके साथ अग्रेषित है।

2. उपरोक्त सरकारी पत्र के अनुसार रु. 18400-  
22400 के वेतनमान के वैज्ञानिकों को दिनांक  
01 जनवरी, 1996 से दिए गए रु. 2000/- प्रतिमाह  
के विशेष वेतन एवं रु. 10,000/- प्रतिमाह के ग्रेड  
वेतन सहित वेतन बैंड-4 (रु. 37400-67000) के  
वैज्ञानिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से दिए गए  
रु. 4000/- प्रतिमाह के विशेष वेतन की गणना पेंशन  
एवं पेंशन सम्बन्धी लाभों में होगी।

3. यह अनुरोध है कि सभी वैज्ञानिक 'छ', जो  
तदनुकूल सेवानिवृत्त हुए हैं, के पीपीओ को सुधारने की  
आवश्यक कार्यवाही की जाए।

हस्ता/-

(टी. चन्द्र बानू)

अतिरिक्त निदेशक, एचआरडी

कृते डीजीआर एंड डी

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

21. जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, उक्त विज्ञप्ति पर भरोसा करते हुए  
प्रत्यर्थीगण ने मूल आवेदन पत्र दायर किये जिसमें यह दावा किया गया है  
कि उनके सम्बन्ध में आदेश लागू नहीं किये गए हैं, और पेंशन के प्रयोजनों  
हेतु विशेष वेतन के गिने जाने से वो वंचित किये गए हैं, जिस दावे को

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा अपने आदेश, दिनांक 22.1.2003 से स्वीकृत किया गया है जिसके विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और वही भारत संघ द्वारा दीवानी अपीलों में मुख्य मुकद्दमा दायर करने का कारण बना ।

22. अब हम प्रथम एवं द्वितीय मुद्दे को एक साथ लेते हैं । दो पहलू हैं जो उपरोक्त मुद्दों के सम्बन्ध में देखे जाने योग्य हैं । प्रथमतः एक ही अवस्था वाले वैज्ञानिकों द्वारा दायर किये गए मूल आवेदन पत्र केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा स्वीकार किये गए थे जिनके विरुद्ध कुछ रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दी गई थीं और उच्च न्यायालय अथवा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध जब भारत संघ द्वारा मामला इस न्यायालय में पहुंचा तो विशेष अनुमति याचिकाएं भी खारिज कर दी गयीं । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में से एक आदेश जो विशेष याचिका (दीवानी) सं 4842/2009 में पारित किया गया था, मुख्य दीवानी अपील में संलग्न पी-1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है । इस न्यायालय ने दिनांक 20.04.2009 के आदेश में माना कि “प्रस्तुत मुकद्दमे के तथ्यों को देखते हुए हम आक्षेपित निर्णय एवं आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं । विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है । तथापि विधि का प्रश्न खुला रहेगा” । भारत संघ द्वारा कुछ अन्य

विशेष अनुमति याचिकाएं भी दायर की गई थीं जो प्रथमतः ही खारिज कर दी गई थीं | क्योंकि विशेष अनुमति याचिकाएं प्रथमतः ही खारिज कर दी गई थीं, इसलिए अपीलार्थीगण को उन मुद्दों को उठाने से नहीं रोका जा सकता, जो मुद्दे इस न्यायालय में इन अपीलों में उठाये जाने हैं | इस न्यायालय द्वारा विधि के प्रश्न को खुला छोड़ने का परिणाम भी यही होना था जैसा कि ऊपर देखा गया | हम इसलिए प्रत्यर्थीगण के फ़ाज़िल अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार करने हेतु सहमत नहीं हैं कि विधि के उस प्रश्न पर मुद्दों को उठाने से भारत संघ को रोक दिया गया है जो इस न्यायालय द्वारा पूर्व में खुला छोड़ा गया था | इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा उठाये गए विधि के प्रश्न को निर्णित करने हेतु हम आगे बढ़ते हैं |

मामले के दूसरे पहलू पर आते हुए अर्थात् पेंशन की गणना हेतु विशेष वेतन के लाभ को अपीलार्थीगण द्वारा स्वतः देने के फैसले को क्या अब भी अपीलार्थीगण को यह स्वतंत्रता होगी कि वो मुद्दे को उठायें ? हमने भारत सरकार के आदेश, दिनांक 13.5.2009 को पहले ही देखा है जिसमें यह निदेश था कि पेंशन संबंधी प्रयोजन हेतु विशेष वेतन को गिना जाए | हमने पहले ही देखा है कि वर्ष 1999 में भारत संघ द्वारा एक स्पष्टीकरण आदेश जारी किया गया था कि पेंशन के प्रयोजन हेतु विशेष वेतन को वेतन का भाग नहीं माना जायेगा | यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त फैसला सरकार

द्वारा मूल नियम 9(21)(a)(i) में दिए गए वेतन की परिभाषा पर भरोसा करते हुए लिया गया था, तत्पश्चात केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा भिन्न आदेश जारी किये गए जैसा कि ऊपर देखा गया जिनमें निदेश दिया गया था कि पेंशन की गणना हेतु विशेष वेतन को वेतन में जोड़कर गिना जाए, जिनको विस्तार से हमने ऊपर देखा है | उपरोक्त आदेशों को पहले ही लागू करके क्या भारत सरकार अपने फैसले पर स्वयं ही प्रश्न उठा सकती है जबकि उनका लाभ दिया जा चुका है |

23. अपीलार्थीगण के फ़ाज़िल अधिवक्ता ने कर्नल बी.जे. अक्कारा (सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार एवं अन्य (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है | उपरोक्त मुकद्दमे में एक मुद्दा यह था जो मुद्दा संख्या (iii) है जैसा कि पैरा संख्या 10 में देखा गया है जो निम्न प्रभाव का है:

“10. किये गए प्रतिरोध पर विचार हेतु निम्न प्रश्न उठते हैं :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(iii) क्या प्रत्यर्थीगण से जिन्होंने समान मुद्दे पर के.सी. गर्ग (डॉ.) बनाम भारत संघ में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करके एवं लागू करके अपेक्षा की जा सकती है कि वो परिपत्र, दिनांक 11.09.2001 को रद्द करके रक्षा सेवा चिकित्सीय अधिकारीगण को भी वैसे ही लाभ पहुंचाए |

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

24. मुद्दा सं. (iii) का उत्तर देते हुए पैरा सं. 24, 25 एवं 26 में निम्न

माना गया है:

“24. प्रत्यर्हीगण ने एक शपथ पत्र, दिनांक 01.08.2006 दायर किया है जिसमें स्वीकार किया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में परिपत्र दिनांक 29.10.1999 को वापस ले लिया गया था परन्तु स्पष्ट किया गया है कि यह केवल शहरी चिकित्सीय अधिकारीगण के सम्बन्ध में वापस हुआ था जो उक्त रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता थे एवं समस्त शहरी चिकित्सीय अधिकारीगण के सम्बन्ध में नहीं। यह प्रतिरोध किया गया है कि यह तथ्य कि कुछ व्यक्तियों के मुकद्दमे में उच्च न्यायालय के फैसले को माना गया अथवा लागू किया गया, जनहित में भारत संघ द्वारा समान याचिकाओं के विरोध करने के रास्ते में अड़चन नहीं पैदा कर सकता।

25. महाराष्ट्र राज्य बनाम दिगंबर (1995) 4 SCC 683 में इस न्यायालय द्वारा एक समान प्रतिरोध पर विचार किया गया था। इस न्यायालय ने माना कि (SCC पृष्ठ सं 691, पैरा सं. 16) :-

“कभी-कभी जैसा कि राज्य निमित्त व्यक्त किया गया है कि रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अमुक निर्णयों के विरुद्ध राज्य सरकार अपील नहीं दायर करने का विकल्प चुनती है जब उन्हें इक्का-दुक्का मामले के तौर पर देखा जाता है एवं इस योग्य नहीं समझा जाता कि समस्या के समाधान हेतु संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इस न्यायालय के विवेकाधिकार की शरण ली जाए। कभी कभी यह भी संभव हो सकता है कि राज्य सरकार कुछ मामलों में गलत सलाह अथवा लापरवाही अथवा सम्बंधित अधिकारीगण के अनुचित व्यवहार के चलते अपीलें दायर नहीं करे। आगे यह भी संभव है कि जब उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिकाएं राज्य द्वारा दायर की जाएँ तो संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा वैसी विशेष अनुमति याचिकाएं नहीं सुनी जाएँ, चाहे इस कारण कि वो इन्फ्रादी मामले के रूप में विचार किये जाएँ अथवा इस कारण से कि वो ऐसे मामले

नहीं विचार किये जाएँ जो राज्य के हित को गंभीर रूप से प्रभावित करते हों। अतः हमारे विचार में राज्य द्वारा कुछ समान मामलों में अपील नहीं दायर करना अथवा कुछ समान मामलों में इस न्यायालय द्वारा ही कुछ विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दिया जाना समान मामलों में किसी विशेष अनुमति याचिका अथवा विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करने से राज्य को वर्जित नहीं किया जा सकता जब राज्य द्वारा यह विचार किया जाए कि ऐसी विशेष अनुमति याचिका अथवा विशेष अनुमति याचिकाएं नहीं दायर करना और उन्हें देखना राज्य के हित अथवा जनहित को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला कार्य होगा।

26. उपरोक्त टिप्पणीयाँ इस मुकद्दमे पर भी लागू होती हैं। उच्च न्यायालय के एक विशेष निर्णय को राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है जब वित्तीय परिणाम नाम मात्र हों अथवा जब अपील समय सीमा से बाधित हो। जब देख रहे अधिकारियों से भूल हो जाए अथवा लापरवाही बरती जाए अथवा गलत विधिक सलाह के कारण अथवा सम्बंधित मुद्दे की गंभीरता अथवा व्यापकता को न समझने की वजह से भी चुनौती नहीं दी जा सकती। तथापि जब समान मामले तत्पश्चात उत्पन्न हो जाएँ एवं वित्तीय लफड़ों की व्यापकता समझी जाए तो राज्य को वर्जित नहीं किया जा सकता अथवा उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता कि वो तत्पश्चाती फैसलों को चुनौती दे अथवा तत्पश्चाती रिट याचिकाओं का विरोध करे यद्यपि समान मुद्दे से सम्बंधित किसी मुकद्दमे के निर्णय को अन्य लोगों के विषय में अंतिम रूप दिया गया था। निस्संदेह अवस्था को भिन्न रूप से देखा जाएगा जब याचिकाकर्तागण इसका अभिवचन करें एवं इसे सिद्ध कर दें कि राज्य ने “मुंह देखा” ढंग अपनाया था जिसका उद्देश्य केवल यह था कि भेदभावपूर्ण एवं गुप्त उद्देश्यों के चलते याचीगण को वंचित किया जा सके। जब ऐसा हो तो। तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न ही पूर्व न्याय और न ही विबंध का सिद्धांत लागू होता है। विधिवत अपेक्षा अथवा ईमानदारी वाले प्रशासनिक विधि सिद्धांत भी लागू नहीं होते हैं। अतः यह तथ्य कि कुछ मुकद्दमों में परिपत्र, दिनांक 29.10.1999 (रक्षा मंत्रालय के परिपत्र, दिनांक 11.09.2001 के समरूप) को माना गया है एवं

फैसला अंतिम हो चुका है परिपत्र, दिनांक 11.09.2001 का प्रतिरोध करने अथवा प्रवृत्त करने के रास्ते में राज्य को बाधित नहीं करेगा ।

25. उपरोक्त मुकद्दमे में इस न्यायालय द्वारा मानी गई विधि प्रस्तुत मुकद्दमे के तथ्यों पर लागू होती है एवं हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह तथ्य कि अपीलार्थीगण ने केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों तथा उच्च न्यायालयों द्वारा पारित पूर्व आदेशों को लागू किया है एवं पेंशन की गणना के प्रयोजन हेतु विशेष वेतन को वेतन में सम्मिलित करने का आदेश जारी किया है, भारत संघ को उन मुद्दों को दोबारा उठाने से नहीं रोका जा सकता एवं यहाँ पूर्व न्याय और विबंध के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं ।

26. अब हम मुख्य मुद्दा अर्थात् मुद्दा सं. (iii) पर आते हैं। प्रत्यर्थी के फ़ाज़िल अधिवक्ता के द्वारा जिस प्रस्तुतीकरण पर ज़ोर दिया गया वह यह है कि रु. 2000/- का विशेष वेतन जो कि कार्यालय ज़ापन दिनांक 03.02.1999 द्वारा अनुमोदित किया गया था, हालांकि रु. 2000/- की कथित राशि को विशेष वेतन के रूप में वर्णित करता है, परन्तु उपर्युक्त भुगतान का वास्तविक रूप विशेष वेतन नहीं था जैसा कि, मूल नियम 9(25) में परिभाषित है। उक्त भुगतान एक अलग उच्च वेतनमान के बदले में था।

27. हम मूल नियम 9(25) में अधोरेखांकित किए विशेष वेतन के अर्थ पर वापिस आते हैं तथा उपरोक्त नियमानुसार, विशेष वेतन का अर्थ है “किसी सरकारी कर्मचारी अथवा पद की परिलब्धियों में वेतन के रूप में वृद्धि”। विशेष वेतन वह है जिसको (क) विशेष कार्य की कठिनता को अथवा (ख) कार्य में विशिष्ट अनुवृद्धि अथवा ज़िम्मेदारी को ध्यान में रखकर दिया जाता है।

28. प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाना है वह यह है कि क्या प्रत्यर्थीगण को विशेष वेतन के रूप में अनुमोदित की गई 2000/- रु. की राशि को नियम 9(25) की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। जब हम दिनांक 03.02.1999 के ज्ञापन को देखते हैं तो वहाँ एक सुस्पष्ट विवरण है कि 2000/- रु. प्रति माह का विशेष वेतन केवल रूपए 18,400-22,400 वेतनमान के वैज्ञानिकों को ही एक अलग उच्च वेतनमान के बदले समकक्ष समीक्षा के पश्चात् अनुमोदित किया गया है। आदेश यह स्पष्ट नहीं करता कि इसे वैज्ञानिकों को कर्तव्यों के विशिष्ट कर्मठ प्रकार अथवा प्रत्यर्थियों के विशिष्ट गुण/कार्य के कारण उन्हें अनुमोदित किया गया। 2000/- रु. की विशेष वेतन के रूप में राशि की उत्पत्ति वैज्ञानिकों द्वारा उठाई गई परिवेदनाओं के कारण थी जब चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत दो



वेतनमानों को पाँचवे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा एक वेतनमान में मिला लिया गया था अर्थात् रु. 18,400-22,400/- में वैज्ञानिक जो रु. 6700-7300/- के वेतनमान में थे उन्होंने परिवेदनाओं को उठाया था तथा समकक्ष समीक्षा के कारण सरकार ने एक अलग उच्च वेतनमान के बदले विशेष वेतन को अनुमोदित किया। दिनांक 13.02.1999 के ज्ञापन को एक कैबिनेट सचिवालय को संयुक्त कैबिनेट पेपर तैयार एवं प्रस्तुत करा के तीनों उल्लिखित विभागों द्वारा असंगति को हटाने हेतु प्राप्त किया गया जो सभी वैज्ञानिकों से संबंधित था, जो पाँचवे केन्द्रीय वेतन आयोग से पहले रु. 5900-7300/- के वेतनमान (पूर्व संशोधित) में थे तथा उच्च वेतनमान के हकदार थे परन्तु पाँचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के समय उन्हें निम्न वेतनमान में आंतरायिक रूप से मिला दिया गया था। यदि दिनांक 13.02.1999 की मंजूरी की उत्पत्ति को सही अर्थों में लिया जाए तो यह स्पष्ट है कि कथित अनुमोदन अथवा लाभ का विस्तार मूल नियम 9 (25) में निहित विशेष वेतन की परिभाषा में उपयुक्त नहीं बैठता, बल्कि वह वेतन संरचना की असंगति को हटाने हेतु था। भारत संघ द्वारा बाद में की गई व्याख्या तथा वेतन की परिभाषा में रु. 2000/- की विशेष वेतन राशि का लाभ न देने का निर्णय दिनांक 03.02.1999 के कार्यालय ज्ञापन में आने वाले शब्द “विशेष वेतन” को लेने से था ।

29. मूल नियम 9(21)(ए)(i) की परिभाषा स्पष्ट रूप से निम्नलिखित दो को वेतन की परिभाषा से स्पष्ट रूप से बाहर रखती है अर्थात् (i) विशेष वेतन को अथवा (ii) उसकी वैयक्तिक योग्यताओं के आधार पर दिए गए वेतन को। मूल नियम 9(21)(ए)(i) में आने वाले शब्द विशेष वेतन को नियम 9(25) में निहित विशेष वेतन की परिभाषा से निकलने वाले अर्थ को लेना होगा। नियम 9(25) में परिभाषित विशेष वेतन सरकारी कर्मचारी अथवा किसी विशिष्ट ऐसे पद को जो कठिन प्रकृति के कार्य वाले पद को देखे, अथवा कार्य में विशिष्ट अनुवृद्धि अथवा उत्तरदायित्व जो कि कर्तव्यों के आवश्यक कार्य संपादन तथा कार्य में विशिष्ट अनुवृद्धि से सम्बंधित हो, को अनुमोदित है। दूसरा उपवाद अर्थात् इसको वृत्तिक अर्हताओं को ध्यान में रख कर स्वीकृत करना यह भी दर्शाता है कि विशेष वेतन केवल व्यक्ति को वृत्तिक अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए है। अतः विशेष वेतन उपरोक्त कारकों की मान्यता में है तथा उपरोक्त परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति के लिए है। विशेष वेतन की स्वीकृति विशिष्ट उद्देश्यों से तथा विशिष्ट स्थिती एवं परिस्थितियों की अनुक्रिया में की जाती है। अतः नियम 9(21)(ए)(i) में परिभाषित वेतन से विशेष वेतन को अलग करना विवेकपूर्ण है परंतु प्रत्यर्थीगण को दिनांक 03.02.1999 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा दिया गया

विशेष वेतन नियम 9(25) में उल्लिखित किसी भी परिस्थितियों में से नहीं था। बल्कि रु. 2000/- का उक्त लाभ अलग उच्च वेतनमान के बदले में था। अतः यह स्पष्ट है कि 2000/- रु की विशेष वेतन की स्वीकृति अलग उच्च वेतनमान के बदले में थी जो नियम 9(25) द्वारा अपेक्षित विशेष वेतन के रूप में उपयुक्त नहीं बैठती। अतः दिनांक 03.02.1999 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा स्वीकृत की गई अनुवृद्धि भी विशेष वेतन में सही नहीं बैठती जिसको नियम 9(21)(ए)(i) के अंतर्गत दी गई वेतन की परिभाषा से बाहर रखा गया। अतः दिनांक 01.01.1996 से 2000/- रु का अतिरिक्त लाभ जो कि विशेष वेतन के प्रकार का है उसको नियम 9(21)(ए)(i) के अंतर्गत दी गई वेतन की परिभाषा में, लाभों के वास्तविक रूप को ध्यान में रखते हुए जिसको समकक्ष समीक्षा के आधार पर वैज्ञानिकों तक बढ़ाया गया था, सम्मिलित किया जाएगा। अतः हम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों अथवा उच्च न्यायालयों के फैसलों, जिनमें यह माना गया है कि दिनांक 01.01.1996 से रु. 2000/- एवं दिनांक 01.01.2006 से रु.4000/- के विशेष वेतन की राशि को पेंशन को गिनने के आधार हेतु वेतन के भाग के रूप में माना जाए को कुछ गलत नहीं मानते हैं। उपरोक्त में उल्लिखित

कारणों के देखते हुए इन अपीलों में हम कुछ भी गुणवंता नहीं पाते जिन्हें तदानुसार खारिज किया जाता है।

न्या. ....  
(अशोक भूषण)

न्या. ....  
(एल. नागेश्वर राव)

नई दिल्ली,  
जनवरी 03, 2019

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी /